(ख) इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्यवार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई और गत माह के अन्त तक जिलेवार कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) राजस्थान के लिए आबंटित कुल धनराशि में से जिलेवार कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) राज्य में उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) 15 अगस्त को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत घोषित योजनाएं ये हैं:—

1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना;
2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना; और
3. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आबंटित कुल राशि और इस्तेमाल की गई कुल राज्यवार राशि अनुपत्र-1 पर है। **[देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र सं० 54]**

वर्ष 1996-97 के दौरान आबंटित कुल राज्यवार राशि अनुपत्र-2 पर है। **[देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र सं० 54]** इस वर्ष अब तक 16 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निधियां रिलीज की गई हैं। मंत्रालय में जैसे ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होते हैं, राज्यों को निधियां रिलीज की जा रही है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को चालू वर्ष में उनके द्वारा प्राप्त निधियों के उपयोग के बारे में अभी सूचना देनी है।

11 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बारे में 1995-96 के लिए निधियों के उपयोग की जिलावार सूचना प्राप्त हो चुकी है। बकाया राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना एकत्र एवं समेकित की जा रही है।

(ग) व (घ) राजस्थान सरकार ने वर्ष 1995-96 के दौरान जिलों को रिलीज की गई निधियों में से उनके द्वारा किए गए खर्च के बारे में मंत्रालय को न तो अभी तक सूचना दी है और न ही योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या की सूचना दी है। तथापि, राजस्थान सरकार की निधियों के आबंटन की जिलावार स्थिति अनुबंध-3 में दी गई है।

Banning the Visits of U.S. Diplomats to Jammu & Kashmir

2426. SHRI RAM NATH KOVIND:
DR. RANBIR SINGH:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have received any requests to ban visits of U.S. diplomats to Jammu & Kashmir;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether such visits would disturb the restoration of normalcy processes presently underhand;

(d) whether Government propose to take any action on these requests; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF THE STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI S.R. SUBRAMONIYAN): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) No Sir.

(d) and (e) There are no restrictions on any body, including foreign diplomats, visiting Jammu and Kashmir. Over the past couple of years several Heads of Foreign Mission based in New Delhi, and other diplomats have visited the State. The Government views such visits as part of its policy of openness and transparency.

राज्यों द्वारा निधियों का उपयोग न किया जाना

2427. **श्री रामजी लाल:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र से मिलने वाली धनराशि को किन-किन राज्यों ने संबंधित मदों के अंतर्गत खर्च नहीं किया है तथा गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यह सच है कि राज्य इस बारे में गंभीर नहीं है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के अलघ): (क) और